अनुदान संख्या 59 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 59 - MINISTY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4065,58,00	4077,37,00	3993,99,32	-83,37,68
पूरक	Supplementary	11,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				37,13,64
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	23,40,00	23,41,00	9,28,39	-14,12,61
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,09,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹8337.68 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1179.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹8337.68 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1179.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"				
सूचना और प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	82757.00			
पू.	S.	1.00	86136.81	81709.73	-4427.08
पु.	R.	3378.81			
मुख्य शीर्ष "2221"	Major Head "2221"				
प्रसारण	Broadcasting				
मू.	O.	309027.00			
पू.	S.	1.00	310126.00	310126.00	..
पु.	R.	1098.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7434.00			
पू.	S.	1177.00	..	..	..
पु.	R.	-8611.00			

(I) ₹9032.40 लाख का प्रावधान (₹1177.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7886.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के तहत – निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹9032.40 lakhs (including supplementary grant of ₹1177.00 lakhs) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹7886.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "अन्य (सूचना एवं प्रचार) – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार तथा सूचना प्रसार" – ₹2110.00 लाख;

(A) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination" - ₹2110.00 lakhs;

(खा) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान" –

(B) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati" -

(क) "प्रसार भारती" – ₹3600.00 लाख;

(ख) "प्रसार भारती को किसान चैनल के लिए सहायता–अनुदान" – ₹600.00 लाख; और

(ग) "प्रसार भारती को अरुण प्रभा चैनल के लिए सहायता–अनुदान" – ₹1576.00 लाख (पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "फिल्म – फिल्मों का निर्माण" –

(क) "राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन" – ₹3506.92 लाख की बचत (₹4558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अनुमोदन में विलंब के कारण व्यावसायिकों कम संख्या में भाड़े पर लेने और फिल्म स्टोरेज वोल्ट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "फिल्मों और वृत्तचित्रों का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण" – ₹1658.72 लाख की बचत (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिशासी परिषद न होने की वजह से फिल्म प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण न हो पाने की वजह से हुई।

(ग) "भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान को सहायता अनुदान – एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण" – ₹600.00 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) "Prasar Bharati" - ₹3600.00 lakhs;

(b) "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Kisan Channel" - ₹600.00 lakhs; and

(c) "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Arun Prabha Channel" - ₹1576.00 lakhs (including supplementary grant).

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Films - Production of Films"-

(a) "National Film Heritage Mission" - saving of ₹3506.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4558.00 lakhs) was due to hiring of less number of professionals owing to delay in approval of scheme and non-finalisation of Memorandum of Understanding (MoU) with National Building Construction Corporation (NBCC) for construction of Film storage vaults.

(b) "Production of Films and Documentaries in various regional languages" - saving of ₹1658.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs) was due to non-finalization of film proposals owing to absence of Executive Council resulting in non-production of films and documentaries.

(c) "Grants-in-aid to Film & Television Institute of India (FTII) - Upgradation and modernisation of FTII" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of

सभागार तथा ज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य की धीमी गति और नगर निगम पुणे से अनुमोदन न मिलने के कारण कुछ निर्माण काय की शुरूआत न होने के कारण हुई।

₹2200.00 lakhs) was due to slow pace of construction work of Auditorium and Knowledge centre and non-commencement of some construction works owing to non-approval from Municipal Corporation, Pune.

(खा) "अन्य" –

(B) "Others"-

(क) "जनसंचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण" –

(a) "Research and Training in Mass Communication"-

(i) "भारतीय जनसंचार संस्थान" – ₹538.16 लाख की बचत (₹2039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुई।

(i) "Indian Institute of Mass Communication" - saving of ₹538.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2039.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(ii) "आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोला जाना" – ₹609.04 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और अमरावती में निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण।

(ii) "Opening of New Regional Centres of IIMC" - saving of ₹609.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-commencement of construction work at Jammu and Amravati.

(ख) "विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन" – ₹1464.68 लाख की बचत (₹17429.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(b) "Advertising and Visual Publicity - Bureau of Outreach and Communication (BOC)" - saving of ₹1464.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17429.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ग) "सूचना केंद्र – मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम" – ₹584.28 लाख की बचत (₹2378.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एजेंसियों/व्यावसायिकों के चिह्नांकन में विलंब होने, कम फोटोग्राफरों को भाड़े पर लेने तथा कम्प्यूटरों, बाह्य उपकरणों तथा स्मार्टफोनों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण कम खरीदारी के कारण हुई।

(c) "Information Centres - Media Infrastructure Development Programme (MIDP)" - saving of ₹584.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2378.00 lakhs) was due to delay in identifying agencies/professionals, hiring of less photographers and less purchase of computers, peripherals and smartphones owing to delay in approval.

(III) मुख्य शीर्ष "2221" – "सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:–

(III) Under Major Head "2221" - "General - Grants to Prasar Bharati" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रसार भारती को सहायता अनुदान" – ₹1930.00 लाख की बचत (₹22400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजिटल टेरिस्ट्रियल टीवी (डीटीटी) की अधिप्राप्ति प्रक्रिया, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो की स्थापना होने और डीटीएच प्लेटफार्म के उन्नयन में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Grants-in-aid to Prasar Bharati" - saving of ₹1930.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22400.00 lakhs) was due to delay in procurement process of Digital Terrestrial TV (DTT), setting up of HDTV studio in Kolkata & Chennai and upgradation of DTH platform.

(खा) "प्रसार भारती को किसान चैनल के लिए सहायता अनुदान" – ₹547.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4571.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ कार्यक्रमों के लिए स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन न मिलने, एजेंसी द्वारा कुछ बिलों को प्रस्तुत न करने तथा फीचर फिल्मों के लिए रॉयल्टी का भुगतान न होने के कारण हुई।

(B) "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Kisan Channel" - saving of ₹547.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4571.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of approval from Standing Finance Committee (SFC) for some programmes, non-presentation of few bills by the agency and non-payment of royalty for feature films.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹253.57 लाख की बचतें हुईं, जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थीं।

(IV) Under one head savings of ₹253.57 lakhs occurred, constituting 67 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3575.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2221" "सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसार भारती को अरुण प्रभा चैनल के लिए सहायता अनुदान" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹3575.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2221" - "General - Grants to Prasar Bharati - Grants-in-aid to Prasar Bharati for Arun Prabha Channel".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2220" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220" - under the following heads:-

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – भारतीय सिनेमा का भारत और विदेशों में फिल्म उत्सवों तथा फिल्म बाजारों के जरिए संवर्द्धन" – ₹559.59 लाख का अधिक व्यय (₹2824.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव – 2017 की देय राशियों के निपटान के लिए तथा इटली, टोरंटो तथा बर्लिन फिल्म उत्सवों में वीडियो केट्टा

(A) "Films - Production of Films - Promotion of Indian Cinema through Film Festivals and Film Markets in India and abroad" - excess of ₹559.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2824.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of dues of International Film

कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) "अन्य" –

(क) "विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार तथा सूचना प्रसार" – ₹7182.85 लाख का अधिक व्यय (₹16090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्कीमों, ग्राउंड एक्टीवेशन तथा आउटरीच कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग किए जाने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "प्रेस सूचना सेवा – प्रेस सूचना ब्यूरो" – ₹560.28 लाख का अधिक व्यय (₹6935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल और विद्युत कार्यों का वार्षिक अनुरक्षण प्रभार सीसीडब्ल्यू (एआईआर) को देने तथा प्रेस सूचना ब्यूरो में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) "अन्य व्यय – निजी एफएम रेडियो स्टेशन" – ₹774.15 लाख का अधिक व्यय (₹448.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में वकीलों की फीस के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Festival of India (IFFI) 2017 and for participation in Videocetta event in Italy, Toronto and Berlin Film Festivals.

(B) "Others" -

(a) "Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination" - excess of ₹7182.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16090.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards publicity and media campaigns for various schemes, ground activation and outreach programmes and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Press Information Services - Press information Bureau" - excess of ₹560.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6935.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Annual Maintenance Charge (AMC) of Civil and Electrical works to CCW (AIR) and filling up of vacant posts in Press Information Bureau (PIB).

(c) "Other Expenditure - Private FM Radio Station" - excess of ₹774.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹448.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards fee to the counsels in International Arbitration cases.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4220"	Major Head "4220"				
सूचना और प्रचार पर	Capital Outlay on				
पूंजीगत परिव्यय	Information and Publicity				
मू.	O.	2340.00			
पू.	S.	1.00	1132.00	928.39	-203.61
पु.	R.	-1209.00			

(I) ₹1490.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से स्कीम की पुनरीक्षा के कारण निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से ₹1100.00 लाख अकेले "फिल्म – अन्य भवन – राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1490.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹1100.00 lakhs alone accounted for under "Films - Other Buildings - National Film Heritage Mission" - due to non-finalisation of tender owing to review of the scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹426.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि "फिल्म – अन्य भवन – चलचित्र संग्रहालय (फिल्म प्रभाग) की स्थापना" के अंतर्गत जुलाई, 2018 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹366.22 लाख था।

4. The above savings were partly (₹426.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in July, 2018 under "Films - Other buildings - Setting up of Museum of Moving Images (Film Division)". Actual excess, however, was ₹366.22 lakhs.